MPHIN/2023/88306

डाक पंजीकरण संख्या मंदसौर / 405/ 2024-26

यशस्वी दुनिया

खबर वही सोच नई...

साप्ताहिक

सम्पादक
कैलाश विश्वकर्मा
मो.7898341111

yashasviduniya@gmail.com

वर्ष -4 अंक -5 मंदसौर, 22 जूलाई 2026 बुधवार से 28 जूलाई 2026 तक पृष्ठ -4 कीमत 2 रू.

बसई में फेके गए दूषित खाने को खाकर कई गोवंश की मौत 15 से अधिक का उपचार जारी

सामूहिक आयोजन के बाद खुले में फेंका गया खाद्य पदार्थ बना हादसे की वजह, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

यशस्वी दुनिया ⊙सुवासरा

(किशोर मलैया)

सुवासरा। सुवासरा थाना क्षेत्र के ग्राम बसई में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां दूषित भोजन खाने से लगभग 20 गोवंश की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक गायों का उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के शासकीय हाई स्कूल मैदान में दो दिन पूर्व एक सामूहिक सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन के दौरान महाप्रसादी का वितरण किया गया था। आयोजन समाप्त होने के बाद बचा हुआ भोजन, विशेष रूप से पूड़ियां तथा उपयोग की गई पत्तलें खुले मैदान में ही छोड़ दी गईं। लगातार दो दिन तक धूप में पड़े रहने के कारण भोजन खराब हो गया।

बताया जा रहा है कि सोमवार रात एवं मंगलवार सुबह भूखी घूम रही गायों ने वही दूषित भोजन खा लिया। इसके बाद कई गायों की तबीयत बिगड़ गई। सुबह ग्रामीणों ने मैदान के आसपास बड़ी संख्या में गोवंश को तड़पते हुए देखा। देखते ही देखते लगभग 20 गायों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गईं।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग की टीम तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सकों ने बीमार गायों का उपचार शुरू किया। गंभीर रूप से बीमार गोवंश को बचाने के लिए उपचार जारी है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी मौके पर पहुंचकर घटना पर नाराजगी जताई तथा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की।

प्रशासन की निगरानी में मृत गोवंश का अंतिम संस्कार कराया गया। जेसीबी की सहायता से गड्ढा खोदकर सभी मृत गायों को दफनाया गया। वहीं घायल गोवंश का उपचार पशु चिकित्सकों एवं गौशाला की टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि सार्वजनिक आयोजनों के बाद बचा हुआ भोजन खुले में फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

जनता के बीच पहुंचे नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया, औचक निरीक्षण कर परखी व्यवस्थाएं

गरोठ। नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया मंगलवार सुबह 8 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के वार्ड क्रमांक 13, 10, 8 एवं 5 के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने नगर की स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, संबल कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान राजेश सेठिया ने प्रत्येक वार्ड में नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी गिरीश शर्मा ने भी वार्डवासियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव है, उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा, जबकि शेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाएगा।

तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए नगर परिषद के इंजीनियर आशीष दायमा ने भी आवश्यक निरीक्षण कर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान नगर परिषद के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं संबंधित वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे।

नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया ने कहा कि नगरवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समय-समय पर स्वयं मैदाहान में उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना चाहिए, जिससे वास्तविक स्थिति का पता चल सके और समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचाने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औचक निरीक्षण के दौरान नगरवासियों ने भी नगर परिषद अध्यक्ष की इस पहल की सराहना की। नागरिकों ने कहा कि राजेश सेठिया के नेतृत्व में जनसमस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे नगर परिषद के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है।

मंदसौर पुलिस की जनसुनवाई में 55 आवेदनों का त्वरित निराकरण, संबंधित थाना प्रभारियों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश

मंदसौर। आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं विधिसंगत निराकरण के उद्देश्य से मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को जिला पुलिस कंट्रोल रूम मंदसौर में जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के निर्देशन में आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 55 आवेदकों की शिकायतों को सुनकर उनके निराकरण की दिशा में तत्काल कार्रवाई की गई। साथ ही संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी.एस. बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (गरोठ) राम सनेही मिश्रा के मार्गदर्शन में आवेदकों की समस्याओं का गंभीरता से परीक्षण किया गया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र भास्कर, एसडीओपी सीतामऊ दिनेश प्रजापति, थाना प्रभारी कोतवाली पुष्पेंद्र सिंह राठौर, थाना प्रभारी यशोधर्मन नगर शिवांशु मालवीय तथा थाना प्रभारी नई आबादी कुलदीप सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने प्रत्येक आवेदक की शिकायत स्वयं सुनकर उसके विधिसम्मत एवं उचित निराकरण के लिए संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उपस्थित अधिकारियों ने भी अपने-अपने अनुभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी समाधान पुलिस की प्राथमिकता है। जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय दिलाना, उनकी शिकायतों का प्रभावी निराकरण करना तथा पुलिस और जनता के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है। जनसुनवाई शिविर के माध्यम से शिकायतों के शीघ्र निराकरण की दिशा में पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है।

संपादकीय

नागरिकता और चुनाव आयोग

देश का नागरिक कौन है और इसको साबित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर आम नागरिकों में चर्चा गरम है।?? विभिन्न राज्यों में? निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के चलते पूरा भ्रम फैला हुआ है और लोग यह समझ बैठे हैं कि अगर मतदाता सूचियों से उनका नाम हटा तो उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस भ्रम ने तब और व्यापक रूप धारण कर लिया जब माननीय अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता, यह दस्तावेज सिर्फ पहचान बनाने के लिए हैं। फिर पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय ने भी केवल यात्रा दस्तावेज माना। एक लोकतांत्रिक देश की जिम्मेदारी केवल कानून बनाने से कहीं ज्यादा उसे अपने नागरिकों के भरोसे की भी रक्षा करना होता है। अगर लोगों को यही डर सताने लगे कि सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज जो?उनके पास दशकों से हैं वह बेकार हैं तो फिर सरकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं दोनों पर भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल, बिहार में एसआईआर के अनुभव ने यह दिखाया कि छोटी से छोटी दस्तावेजी कमियों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। पुराने रिकार्ड में स्पैलिंग की गलतियों, तिथियों में अंतर या सरकारी दस्तावेजों के गायब होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देश में आज भी गरीब समुदाय और गांव की जनसंख्या में दशकों पुराने दस्तावेज नहीं हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने अब पश्चिम बंगाल एसआईआर विवाद पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट कह दिया कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग का अधिकार केवल वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की? स्थति में कोई भ्रम नहीं है। मतदाता सूची में ि?कसी का नाम हटने से उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती। नागरिकता का फैसला संबंधित मंत्रालय यानि गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि नागरिकता निर्धारण के लिए मामले संबंधित मंत्रालय को भेजें। चुनाव आयोग को यह देखना है कि मतदाता भारतीय नागरिक है या नहीं। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का हक भारतीय नागरिकों को ही मिलना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची से हटाया जाता है तो?उसे नागरिकता निर्धारित करने के लिए आवेदन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक नागरिकता को लेकर भ्रम दूर कर दिया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग एसआईआर को जनता के पक्ष में बता रहे हैं, वहीं विपक्ष का आरोप है कि सत्ता हथियाने के लिए सत्ता पक्ष एसआईआर करवा रही है और लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह भी वास्तविकता है कि देश में अवैध घुसपैठियों ने अपने पैन, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनाए हुए हैं, जिनको मतदाता सूचियों से बाहर करना भी जरूरी है। हर नागरिक और उससे देश के बीच एक कानूनी रिश्ता होना और नागरिकता इस रिश्ते को बांधने वाली डोर का काम करती है। यही नागरिकता देश के नागरिकों को कई किस्म के अधिकार और सुविधाएं देती है। मूलभूत अधिकारों से लेकर वोट देने का अधिकार, कानूनी अ?धिकार, काम करने का अधिकार इत्या?द। समस्या यह है कि अगर आधार, ड्राइविंग लाइसैंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर कोई अपनी नागरिकता कैसे साबित करेगा। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। आर्टिकल 5 से 11 आज़ाद भारत के शुरूआती नागरिकों के लिए नागरिकता के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 5 उन लोगों को नागरिक मानता है जो संविधान के शुरू होने पर भारत में रहते थे। आर्टिकल 6 और 7 उन लोगों की नागरिकता के नियम बताते हैं जो पाकिस्तान से भारत आए थे ।

मंदसौर में एनएसयूआई कार्यकर्ता हिरासत में, थाने पर हंगामा-दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन; 2 घंटे बाद रिहा हुए कार्यकर्ता

मंदसौर । दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार शाम मंदसौर एनएसयूआई कार्यकर्ता गांधी चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन करने की तैयारी कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गांधी चौराहे को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर सिटी कोतवाली थाना पहुंचा दिया। इसके विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर करीब दो घंटे तक प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बाद में सभी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया।

गांधी चौराहे पर प्रदर्शन की तैयारी के दौरान पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने पूर्व जिलाध्यक्ष ऋतिक पटेल, वर्तमान जिलाध्यक्ष मंथन धनोतिया, आदर्श जोशी, अमन टेलर, राहुल सिंह, राघव शक्तावत, दुर्गाशंकर धाकड़, ओमप्रकाश ररोतिया, अरबाज मंसूरी, समीर मंसूरी और निहाल डाया सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर सिटी कोतवाली थाना पहुंचाया।

कोतवाली के बाहर दो घंटे तक प्रदर्शन

कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिटी कोतवाली पहुंचे। उन्होंने करीब दो घंटे तक पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। इस दौरान ÷जब-जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है÷ और ÷पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद÷ जैसे नारे लगाए गए। मौके पर पहुंचे सीएसपी जितेंद्र कुमार भास्कर ने नेताओं से चर्चा कर स्थिति शांत कराने का प्रयास किया।

रिहाई के बाद फिर गांधी चौराहे पर सत्याग्रह

सभी कार्यकर्ताओं की रिहाई के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता दोबारा गांधी चौराहे पर एकत्र हुए। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता मनजीत सिंह मनी ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बिना किसी आधार के उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि छात्र आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्र सरकार संवेदनशील नहीं है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।

भानपुरा थाना प्रभारी लाइन अटैच, विनय बुंदेला बने नए टीआई

मंदसौर। जिले के भानपुरा थाने में थाना प्रभारी का फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने सोमवार रात जारी आदेश में थाना प्रभारी रमेश चंद्र डांगी को लाइन अटैच कर दिया है। उनकी जगह उपनिरीक्षक विनय बुंदेला को भानपुरा थाने का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार, रमेश चंद्र डांगी अक्टूबर 2024 से भानपुरा थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्य में लापरवाही के चलते उन्हें लाइन अटैच किया गया है। पुलिस विभाग के अनुसार डांगी के विरुद्ध एक प्रकरण को लेकर विभागीय जांच भी जारी है। वहीं, नवपदस्थ थाना प्रभारी विनय बुंदेला पिछले लगभग पांच वर्षों से मंदसौर के यशोधर्मन थाना क्षेत्र में पदस्थ रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिले की कई महत्वपूर्ण और चर्चित पुलिस कार्रवाइयों में सक्रिय भूमिका निभाई। हाल ही में नई आबादी थाना पुलिस द्वारा करीब 20 किलो ब्राउन शुगर (स्मैक) जब्त करने की बड़ी कार्रवाई में भी विनय बुंदेला की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इसके अलावा एमडी ड्रग्स फैक्ट्री के भंडाफोड़ सहित जिले के कई गंभीर मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और विवेचना में भी वे विशेष टीम का हिस्सा रहे हैं।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेर सिंह बघेल ने बताया कि रमेश चंद्र डांगी के विरुद्ध शराब से संबंधित एक मामले को लेकर विभागीय जांच प्रचलित है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मनासा में मारुति एसप्रेसो कार से डोडाचूरा तस्करी

नीमच। जिले की मनासा पुलिस ने डिकेन मार्ग पर एक कार से 41 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया है। मौके से पुलिस ने कार सवार एक तस्कर को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल वाहन को जब्त कर लिया है।

नाकाबंदी कर पुलिस ने पकड़ा वाहन

पुलिस को मुखबिर से अवैध मादक पदार्थ की परिवहन की सूचना मिली थी। इसके आधार पर भेरू बावजी अखेपुर बावड़ा फंटे पर नाकाबंदी कर राजस्थान नंबर की एसप्रेसो कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें छिपाकर रखा गया डोडाचूरा मिला।

आरोपी से डोडाचूरा स्रोत की पूछताछ जारी

थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान नीमच सिटी क्षेत्र के बोरखेड़ी पाणेरी निवासी पप्पूलाल गहलोत के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से डोडाचूरा की खेप लाने और इसके खरीदारों के संबंध में पूछताछ कर रही है।

पशुपतिनाथ मंदिर सुबह 5 से रात 11 बजे तक खुलेगा

महाकाल की तर्ज पर होगी शयन आरती, विशेष पर्वों पर गर्भगृह प्रतिबंधित

मंदसौर। श्रावण माह 2026 को लेकर पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक सोमवार देर शाम कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें श्रावण माह के दौरान मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

विशेष पर्वों पर गर्भगृह में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

समिति ने निर्णय लिया कि मंदिर का समय पूर्ववत सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। श्रावण माह के सभी सोमवार, रविवार, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी और अन्य विशेष पर्वों पर सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। श्रद्धालु बाहर से ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर सकेंगे।

सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक होगा मनोकामना अभिषेक

श्रावण माह में प्रतिदिन सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक संस्कृत पाठशाला के वेदपाठी ब्राह्मणों एवं आचार्य विष्णु प्रसाद ज्ञानी के सान्निध्य में मनोकामना अभिषेक कराया जाएगा। वहीं, जजमानी अभिषेक, पूजा और हवन मंदिर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हॉल नंबर-2 में संपन्न होंगे। पुजारी ड्यूटी के दौरान श्रद्धालुओं की ओर से लाई गई फूल-मालाएं भगवान को अर्पित करेंगे।

महाकाल की तर्ज पर दीप ज्योति से होगी शयन आरती–बाबा पशुपतिनाथ की शयन आरती महाकाल मंदिर की तर्ज पर दीपक की ज्योति से किए जाने का निर्णय भी लिया गया।

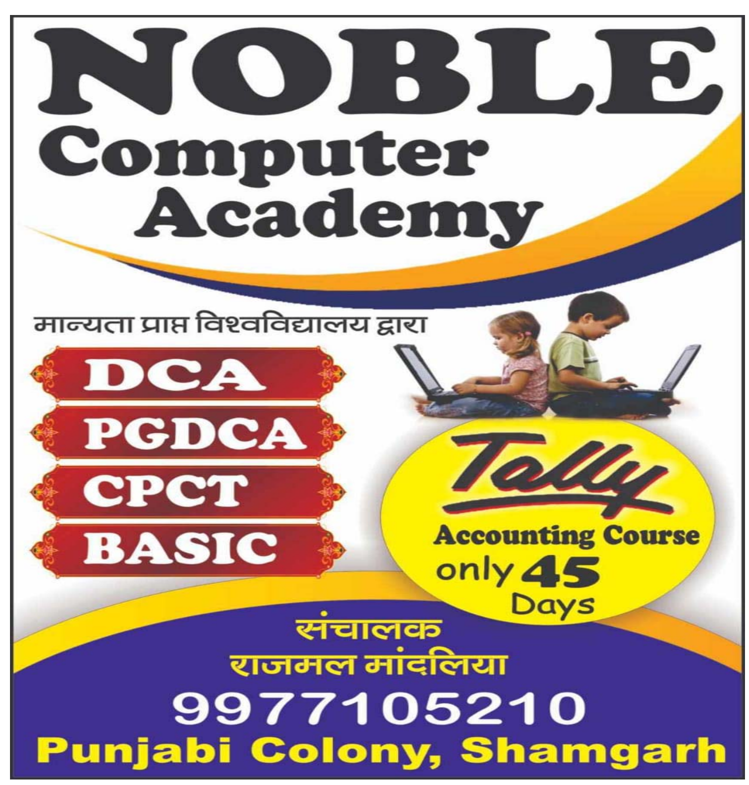

शिक्षित बेटी ही देश का उज्ज्वल भविष्य नपा अध्यक्ष श्रीमती कविता नरेंद्र यादव

शामगढ़। शासकीय एकीकृत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शामगढ़ में छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कविता नरेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य बी.एल. कारपेंटर भी मंचासीन रहे। शासन की योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं एवं 9वीं की कुल 114 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। साइकिल प्राप्त कर छात्राओं के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया।

मुख्य अतिथि श्रीमती कविता नरेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ÷शिक्षित बेटी केवल एक परिवार ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का नाम रोशन करती है। बेटियों की शिक्षा समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने तथा आत्मनिर्भर बनकर देश और समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने नगर परिषद अध्यक्ष से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे। उन्होंने सभी जिज्ञासाओं का सहज, प्रेरणादायक एवं सकारात्मक उत्तर देकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।

विद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमती कविता नरेंद्र यादव ने शाला परिसर में शीघ्र पेवर ब्लॉक निर्माण एवं छात्राओं की सुविधा के लिए वाटर कूलर स्थापित कराने की घोषणा भी की, जिसका उपस्थितजनों ने स्वागत किया।

कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन नरेंद्र चौधरी ने किया, जबकि अंत में दिनेश गुप्ता सर ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाओं के साथ हुआ।

शादी वाले घर में महिला ने लगाई फांसी

नीमच। जिले के कनावटी गांव में महिला (40) ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। दो दिन बाद घर में भतीजी की शादी थी। मायके पक्ष ने पति पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पति ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान कनावटी निवासी रेखा (40) पत्नी सुरेश गाड़ी लोहार के रूप में हुई है। सोमवार दोपहर घटना के समय पति काम पर गए थे और महिला चार बच्चों के साथ घर पर थी। हादसे के बाद शादी की तैयारियां मातम में बदल गई।

बेटी ने बताई पूरी घटना

सबसे बड़ी बेटी संजना ने बताया कि मां ने पहले तीनों छोटे भाई-बहनों को नीचे भेजा। वह खुद ऊपर रुकी तो उसे भी नीचे धक्का देकर भेज दिया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उसने पड़ोसियों और पिता को सूचना दी। सूचना मिलते ही पति सुरेश घर पहुंचे और दरवाजा तोड़ा। अंदर रेखा फंदे पर लटकी मिलीं। परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मायके पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

मृतका के भाई भैरूलाल ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति रेखा के साथ मारपीट और प्रताड़ना करता था। कई बार पंचायत में समझौते भी हुए। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पति ने आरोपों से किया इनकार

पति सुरेश का कहना है कि शुरुआती वर्षों में मामूली विवाद हुए थे, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को भतीजी की शादी है और रेखा रविवार को दस्तूर कार्यक्रम में पूरे उत्साह से मेहमानों की सेवा कर रही थी। उनके अनुसार, आत्महत्या की वजह समझ से परे है।

कैंट थाना पुलिस ने डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि मायके पक्ष के आवेदन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समस्या अनेक समाधान एक

अब आप अपने व्यापार एवं जीवन से संबंधित कई कार्य आसानी से कर पाएंगे..सिर्फ एक संपर्क पर

ONE DESK BUISNESS SOLUTIONS PVT LTD

आपके लिए लाया है

GST,Income Ta& ,Loan & Subsidy Services,Trust & Society Registration ,Startup Consultancy,Company/LLP Incorporation

की सेवाओं के साथ सिर्फ एक कॉल पर उपलब्ध संपर्क करे...

पाटिल कॉलोनी H.N 34/35 मंदसौर 458001

Contact us -9109464400
onedeskwy@gmail.com
222.onedeskbiz.com

कार्यालय नगर परिषद शामगढ जिला मन्दसौर म0प्र0

पृष्ठा0क / 2260 / 2026 दिनांक 16.07.2026

ई निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद, शामगढ द्वारा नगर में विभिन्न स्थानो पर निर्माण कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार निर्धारित धरोहर राशि जमा कर ऑनलाईन दर प्रस्तुत कर सकते है । जिसका विवरण एवं शर्तें कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित होकर देख सकते है। उक्त टेंडर की समयावधि 02 माह होगी।

क.	ऑन लाईन टेण्डर क्र	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अर्नेस्टमनी	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा कॉल
1	2026_UAD_522530_1	वार्ड कं 01 सगस महाराज मंदिर के पास परिसर में पेवर ब्लाक निर्माण	349650.00	6993.00	2000.00	प्रथम
2	2026_UAD_525238_1	वार्ड कं 04 लटुरचंद जी के धर से मुकेश जी गुप्ता के धर तक सी0सी0 रोड एंव नाली निर्माण कार्य	940959.00	18820.00	2000.00	प्रथम
3	2026_UAD_522542_1	वार्ड कं 13 श्यामलाल जी सोनी के मकान से मुन्ना बिहारी के मकान तक सी0सी0 रोड एंव नाली निर्माण कार्य	848749.00	16975.00	2000.00	प्रथम

निविदा ऑनलाईन कय एंव बिड जमा करने की अंतिम तिथि 03.08.2026 सांय 17 बजे तक एंव खोलने की दिनांक 04.08.2026 अधिक जानाकरी के लिये कार्यालयीन समय में नगर परिषद शामगढ से संपर्क किया जा सकता है।

नोट :-

01. विस्तृत निविदा विज्ञप्ति टेण्डर एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करने के लिये https://mptenders.gov.in/ पर सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय नगर परिषद् शामगढ़ पर सम्पर्क करे।

02.टेण्डर डाउनलोड करने के पूर्व निविदाकार स्थल का निरिक्षण कर नगर परिषद् शामगढ़ में उपलब्ध शर्तो का अध्ययन करने के उपरांत ही टेण्डर प्रविष्टि करें।

03.निविदा में यदि कोई संशोधन होता है तो वह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा उसके लिये पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

04शासन के निर्देशानुसार अधिक बिलो टेंडर जाने पर नियमानुसार परफारमेंस गयारंटी अनुबंध के समय जमा करवाना अर्निवाय होगी।

05.निविदादाता अपनी दरे उक्त अनुमानित लागत अनुरूप कार्य पर लगने वाली जी.एस.टी दर को छोडकर प्रस्तुत करेगा। कान्ट्रेक्टर के भुगतान के समय जी.एस.टी. कि जो दरे देयक पर लागु होगी उसके अनुसार जी.एस. टी का भुगतान पृथक से कान्ट्रेक्टर को किया जावेगा।

06.शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिज की रायल्टी रसिदे अप्राप्त होने पर खनिजों का बाजार मुल्य ठेकेदार के देयको से काटकर राशि का भुगतान किया जावेगा।

श्रीमति कविता यादव	श्रीमति डाली जोशी	सिद्धार्थ जोशी	सुरेश यादव
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सभापति	मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद शामगढ	नगर परिषद शामगढ	(लोक निर्माण ,उघान विघुत एवं यांत्रिकी विभाग)	नगर परिषद शामगढ

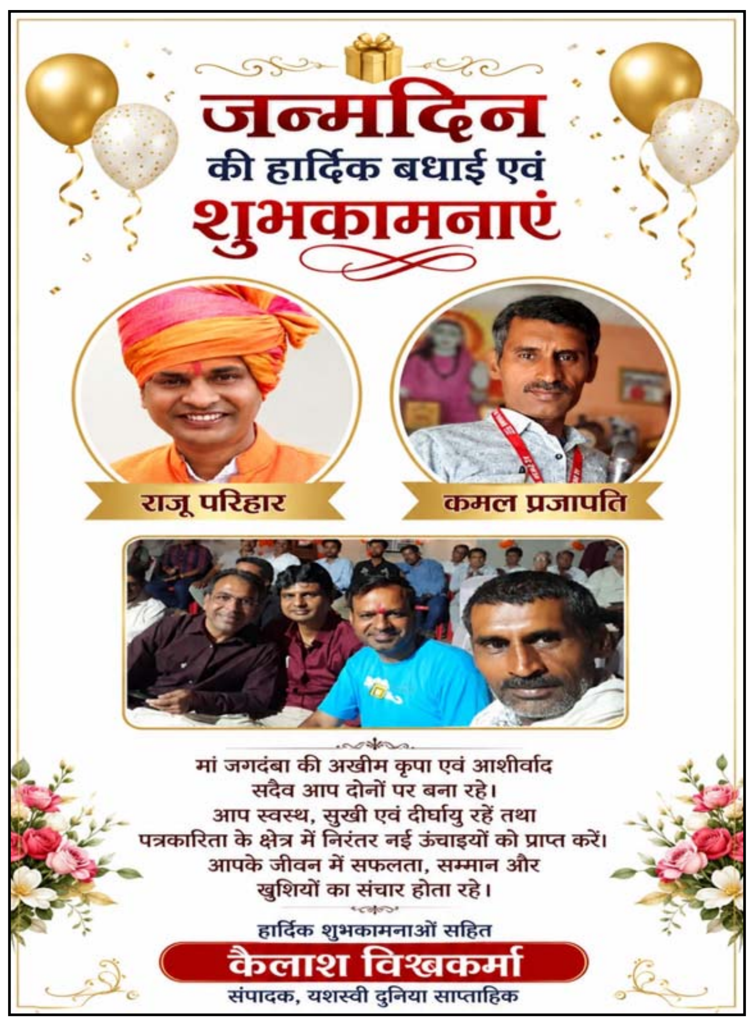

स्वामित्वाधिकारी, कैलाश विश्वकर्मा के लिए मुद्रक के द्वारा नकुल कंप्यूटरर्स एंड ऑफसेट प्रिंटर्स नाकोड़ा परिसर, गली नंबर 2 जीरागंज, मंदसौर (म.प्र.) से मुद्रित कर सुभाष मार्ग, शामगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) से प्रकाशित,डाक पंजीकरण संख्या मंदसौर / 405/ 2024-26 (संपादक कैलाश विश्वकर्मा) मो. 7898341111 MPHIN/2023/88306